न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 72/2016

मोहनलाल पुत्र टीकूराम जाति मेघवाल निवासी 22 ए–ए तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. राजुराम
2. भोलाराम | पिसरान तुलसाराम जाति मेघवाल निवासी 22 ए–ए तहसील अनूपगढ
3. गंगाराम | जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ। ——रेस्पोंडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ दिनांक 06.07.2015

उपस्थितिः–

श्री प्रीतमसिंह गिल अभिभाषक अपीलार्थी

श्री अजय तनेजा अभिभाषक रेस्पों.

श्री वेदप्रकाश राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 22.05.2018

अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के आदेश दिनांक 06.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त आदेश के द्वारा प्रार्थी/रेस्पों. सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए स्वीकार कर चक 22 ए. बी. के प.नं. 321/444 के कि.नं. 20, 21 में रास्ता स्वीकृत किया गया है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पों. द्वारा जिस भूमि में से रास्ता की

22/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

मांग की जा रही है। वह भूमि रेस्पों. के पिता एवं परिवारजन द्वारा पूर्व में ही अपीलांट को प्रतिफल की एवज में विक्रय कर दी है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। अपीलांट पर जो तामील दर्शायी है वह फर्जी एवं कूटरचित है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के नाम से नोटिस जारी किये गये। अपीलांट को जारी नोटिस उसकी पत्नी पर तामील होने पर कोई उपस्थित नहीं आया। ऐसी स्थिति में अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अधी. न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 06.07.2015 के विरूद्ध दिनांक 13.04.2016 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथपत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के आदेश दिनांक 06.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। जिसमें अपीलांट की कृषि भूमि में रेस्पों. को रास्ता स्वीकृत किया गया है जिसमें अपीलांट का गलत तरीके से एकपक्षीय आदेश किया गया है। अतः अपीलांट को सुने बगैर आदेश पारित किया गया है। इसलिए अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी. न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ सं. 16 पर सन्दर्भ तथाकथित तामीलशुदा नोटिस उपलब्ध है जिस पर नोटिस प्राप्तकर्ता चूनी का अंगूठा निशान अंकित है जिसके सम्बंध में अपील मीमों में यह

22/5/18

आपत्ति दर्शायी है कि अपीलांट की पत्नी की फर्जी तामील दर्शाई है तथा एकपक्षीय आदेश भी गलत पारित किया है जिसे अपास्त करने का अपीलांट द्वारा दिनांक 22.01.2015 को प्रा.पत्र भी लगाया, वह भी अधी. न्यायालय द्वारा तकनिकी आधार पर खारिज किया गया, दूसरे पक्ष को सुना जाना प्राकृतिक न्याय की मांग है जिसे अधी. न्यायालय ने जानबूझकर नकारा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.07.2015 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि राज. काश्त. अधि. 251ए के आज्ञापक प्रावधानों तथा इस संबंध की क्रियान्विति हेतु बने नियमों की पालना कर दोनों पक्षों को सुनकर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर